बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

श्री राजीव कुमार (गृह जिला–बेगूसराय), आपूर्ति निरीक्षक के सरायरंजन, समस्तीपुर में पदस्थापन की अवधि में इनके विरूद्ध 50,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं तत्क्रम में निगरानी थाना काण्ड संख्या–25/2022 दिनांक–31.05.2022, धारा–7(a)(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किये जाने संबंधी निगरानी विभाग से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2740 दिनांक–16.06.2022 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया। उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में प्रतिवेदित आरोप की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–3895 दिनांक–31.08.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(XI) के तहत श्री कुमार को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–25.07.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया।

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2190 दिनांक–01.09.2025 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(4) के आलोक में सेवा में पुनःबहाल करते हुए बर्खास्तगी की मूल आदेश की तिथि (25.01.2024) से निलंबित किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक–2500 दिनांक–22.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार से लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

2. उक्त के क्रम में श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक–272 दिनांक–15.01.2026 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध पुनः अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही, प्रस्तुत मामले से सम्बद्ध सम्पूर्ण घटनाक्रम को लेखबद्ध करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध पुनः अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की माँग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्शित किया गया कि ...... विचाराधीन मामले में प्रशासी विभाग द्वारा नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करने के उपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध पुनः अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया जाना नियमसम्मत् नहीं है। अपीलीय प्राधिकार द्वारा Remand किये जाने पर आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने, उसका पक्ष सुनने एवं तदोपरान्त समुचित निर्णय लिये जाने की कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से अपेक्षित है।

2025/Other Order/Rajiv Kumar_1.doc

फलतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री राजीव कुमार (गृह जिला–बेगूसराय), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, सरायरंजन, समस्तीपुर सम्प्रति बिरौल, दरभंगा के विरूद्ध पुनः संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है। प्रस्तुत मामले में श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पर समुचित निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में पृथक आदेश से निर्गत किया जायेगा।

3. आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–17/2022(खंड)– 1706 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/04/2026
प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद कुमार तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. अवर सचिव–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री राजीव कुमार (गृह जिला–बेगूसराय), आपूर्ति निरीक्षक, बिरौल, दरभंगा, मोबाईल सं0–7004344651 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।